INTEGRAL UNIVERSITY, LUCKNOW

(From the Office of the Registrar)

Ref.No.IU/RO/GA/Notice/2013/08 Dated: 29.01.2013

आवश्यक सूचना

आपको अवगत कराना है कि मानूनीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने छात्राओं/महिलाओं को किये जा रहे अंवाछित एवं अश्लील फोन काल से राहत दिलाने हेतु एक काल सेण्टर Women Power Line 1090 की स्थापना की है। जिसकी निम्न खास बातें है।

1- शिकायतकर्ता/विक्टिम की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
2- किसी भी थाने या पुलिस कार्यालय में बुलाया नही जायेगा।
3- कॉल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी।
4- समस्या के समाधान तक कॉल सेण्टर विक्टिम से सम्पर्क में रहेगा।
5- पूरे प्रदेश में शिकायत दर्ज कराने हेतु एक ही नम्बर 1090 है।

आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि किसी के विरूद्ध 1090 कॉल सेण्टर पर दर्ज शिकायत प्रमाणित होती है तो उनके विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है व निम्नलिखित समस्यायें उनके समक्ष उत्पन्न हो जायेंगीः-

1- पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन रोक दिया जायगा।
2- अन्य किसी प्रकार का सत्यापन नही हो पायेगा।
3- ड्राइविंग लाइसेंस नही बन पायेगा।
4- पासपोर्ट नही बन पायेगा।

अतः उक्त निर्देशानुसार छात्राओं/महिलाओं की सुरक्षा हेतु अपने समस्त विभाग को निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

***नोटः-* गलत सूचना देने पर अथवा इस सुविधा का दुरूपयोग करने पर शासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।**

भवदीय,

Akh.

प्रो0(डा0)आई0ए0खान
कुलसचिव

***प्रतिलिपिः-* निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1- समस्त अधिष्ठाता
2- समस्त विभागाध्यक्ष
3- प्राक्टर
4- प्रोवोस्ट
5- समस्त वार्डेंस
6- डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रशासनिक)
7- नोटिस बोर्ड